न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 223/2023

चन्द्रशेखर पुत्र केशरीचन्द सुथार
निवासी रामदेव नगर, लोहावट
जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. भंवरलाल पुत्र धुडाराम विश्नोई
   निवासी लुम्बाराम नगर, लोहावट
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला फलोदी

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 06 फरवरी 2023 (राजस्व कमांक भू.अ./2023/531 अनवान भंवरलाल बनाम तहसीलदार) जिसके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया गया

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
रेस्पो. संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 10 सित., 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा रेस्पो. भंवरलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार करते हुए पारित आदेश कमांक भू.अ./2023/531 दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत करने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत एक प्रार्थनापत्र ग्राम रामदेव नगर स्थित आराजी खसरा संख्या 1084 रकबा 111 बीघा 17 बिस्वा बाबत विभाजन संबंधित वाद संख्या 350/2020 में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित फाइनल डिक्री दिनांक 30 अप्रेल 2014 के अनुसरण में कायम खसरा संख्या 1084 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1084/2 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा की म्युटेशन संख्या 35 ग्राम रामदेवनगर की पुश्त पर की गयी तरमीम के अनुरूप सेग्रीगेशन व ऑनलाइन प्रोग्राम में खसरा संख्या 1084/2 की तरमीम नहीं किया जाना जाहिर करते हुए शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 फरवरी 2023 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। नक्शों में किसी तरह की हुई तरमीम को ही शुद्ध करने का प्रावधान है जबकि आलौच्य मामलें में पक्षकारान के मध्य विवाद होने के कारण नक्शा को बिना किसी आधार बदला नहीं जा सकता है। राजस्व रेकर्ड में तरमीम वाद संख्या 350/2020 में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित फाइनल डिक्री दिनांक 30 अप्रेल 2014 के अनुसरण में की गयी। मौके पर खसरा संख्या 1084 व 1084/2 के मध्य चल रही सडक पर अनुसार ही तरमीम की गयी थी। जिसके अनुसार ही ऑनलाईन तरमीम की गयी है। उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में प्रस्तुत अपील दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को खारिज हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित खसरान के खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसकी जानकारी दिनांक 12 जून 2023 को रेस्पो. संख्या एक द्वारा मौके पर आकर अपीलाण्ट को भूमि खाली करने तथा तरमीम बदले जाने का कहा, तब हुई। अतः जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील पेश कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है, गत सेग्रीगेशन व ऑनलाईन प्रोग्राम के तहत खसरा संख्या 1084/2 की तरमीम फलोदी–जोधपुर सडक मार्ग पर खसरा संख्या 1084 के साथ ½–½ पूर्ववर्ती तरमीम के अनुसार नहीं की गयी। विचारण न्यायालय में रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत मामले में पटवारी हळका, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की जांच व रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रश्न है, इस संबंध में प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट की इस बाबत की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

आलौच्य मामले में रेस्पो. संख्या एक की ओर से आराजी खसरा संख्या 1084/2 रकबा 9.0488 हैक्टेयर वाके मौजा रामदेवनगर तहसील लोहावट बाबत म्युटेशन संख्या 35 ग्राम रामदेवनगर की पुश्त पर अंकितानुसार पूर्ववर्ती तरमीम के अनुसरण में शुद्धि कराये जाने हेतु पेश प्रार्थनापत्र बाबत विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार पटवारी हळका द्वारा जांच की जाकर तरमीम दुरूस्ती उचित माना गया है, जिसकी पुष्टि संबंधित भू.अ. निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट द्वारा शुद्धि की अनुशंसा की है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो संबंधित विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया जाना प्रकट होता है। पूर्व में विभाजन संबंधित वाद संख्या 350/2020 में न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित फाइनल डिक्री दिनांक 30 अप्रेल 2014 के अनुसरण में कायम खसरा संख्या 1084 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1084/2 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा की म्युटेशन संख्या 35 ग्राम रामदेवनगर की पुश्त पर की गयी तरमीम के अनुरूप सेग्रीगेशन व ऑनलाइन प्रोग्राम में खसरा संख्या 1084/2 की तरमीम की जा सकती है। किन्तु आलौच्य प्रकरण में सेग्रीगेशन व ऑनलाइन प्रोग्राम में इस अनुसार तरमीम नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 फरवरी 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर